विश्वास सारंग
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सहकारिता
भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन.

निवास : सी–12, (74 बंगले),
स्वामी दयानंद नगर,
भोपाल–462003 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2764577
दूरभाष : 0755–2571007
दूरभाष : 0755–2577007
फैक्स : 0755–2559655

-130-

पत्र क्रमांक 1365
दिनांक 20/12/17

विषय : गैस प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूलभूत सुविधाओं का विकास।

संदर्भः सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक – 07.02.2017 के बिन्दु कमांक–3 के संबंध में।

आ. अनंत कुमार जी

उपरोक्त विषय में लेख है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष–2010 में गैस पीड़ितों की पुनर्वास योजनाओं हेतु राशि रूपए 272.75 करोड़ 75:25 के अनुपात में (केन्द्र शासन एवं राज्य शासन का अंशदान सम्मिलित है) स्वीकृत की गई थी, जो निम्नानुसार है :–

राशि रू. करोड़ में

स.क.	पुनर्वास योजना	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वर्तमान में शेष राशि वित्त विभाग के पास उपलब्ध है
01.	चिकित्सा पुनर्वास	33.55	16.32	17.23
02.	सामाजिक पुनर्वास	85.20	45.05	40.15
03.	आर्थिक पुनर्वास	104.00	18.13	85.87
04.	पर्यावरण पुनर्वास (गैस प्रभावित क्षेत्र में जलप्रदाय)	50.00	50.00	00.00
	योग :	**272.75**	**129.50**	**143.25**

US(GR)

2. सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 07.02.2017 में विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्ष–2010 में नवीन कार्ययोजना के अंतर्गत गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास हेतु राशि रूपए 272.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से लगभग राशि रूपए 143.25 करोड़ का उपयोग नहीं किया

21/12/2017

निरतंर......

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत
एवं पुनर्वास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पूर्व पृष्ट से जारी.....

गया है। राज्य शासन के पास शेष बची राशि रूपए 143.25 करोड़ से गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के लिये कारगर योजना का नवीन प्रस्ताव तैयार किया जाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु औचित्य सहित प्रेषित किये जाने का उल्लेख उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में किया गया है।

3. मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा दिनांक 19.06.2017 को विस्तृत प्रस्ताव औचित्य सहित संयुक्त सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को प्रेषित् किया गया है जिसमें से केवल चिकित्सीय पुनर्वास के अंतर्गत उल्लेखित कार्य शेष बची राशि रू. 17.23 करोड़ से प्रस्ताव अनुसार किए जाने हेतु भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के पत्र दिनांक 05.12.2017 को सहमति/स्वीकृति प्राप्त हुई है। शेष आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्य जो निम्नानुसार उल्लेखित हैं, पर सहमति भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है।

4. आर्थिक पुनर्वास हेतु उपलब्ध राशि रूपए 85.87 करोड़ में से इस योजनांतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा फ्लेटेड इण्डस्ट्री हेतु सुविधाओं का निर्माण आदि में राशि रूपए 25.12 करोड़ का प्रावधान रखते हुए शेष बची राशि रू. 60.75 करोड़, गैस पीड़ित वार्डों में सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत उपलब्ध राशि रूपए 39.00 करोड़ में से 25.00 करोड़ रूपए प्रधानमंत्री आवास योजना (Houses for All) के अंतर्गत पात्रता रखने वाले गैस पीड़ितों हेतु प्रावधानित किया जाना है। भारत सरकार को सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत यूनियन कार्बाइड के आस–पास की बस्तियों में भू–जल प्रदूषित होने के कारण गैस पीड़ितों को विस्थापित करने हेतु 2500 आवास बनाए जाने का प्रावधान था लेकिन वर्तमान में उक्त क्षेत्र में नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा पाईप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, अतः उक्त समस्या का निदान किया जा चुका है इसलिए प्रति गैस पीड़ित हितग्राही "Houses for All" प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत रू. 1.00 लाख का प्रावधान गैस पीड़ितों को विभाग द्वारा किये जाने हेतु रू. 25.00 करोड़ आवास स्कीम के अंतर्गत सुरक्षित रखे जाने

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत
एवं पुनर्वास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पूर्व पृष्ट से जारी.......

का निर्णय लिया गया है। शेष राशि रूपए 14.00 करोड़ सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रावधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. भोपाल शहर के गैस प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूलभूत सुविधाओं हेतु सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु वर्तमान में उपलब्ध राशि रूपए 39.00 करोड़ में से राशि रूपए 14.00 करोड़ तथा आर्थिक पुनर्वास हेतु उपलब्ध राशि रूपए 85.87 करोड़ में से राशि रूपए 60.75 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रूपए 74.75 करोड़ के मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य कराने राज्य शासन व्दारा निर्णय लिया गया है। सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 07.02.2017 में लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक–3 के अनुक्रम में विभागीय प्रस्ताव दिनांक 19.06.2017 को संयुक्त सचिव, भारत सरकार को स्वीकृति/सहमति प्रदान करने हेतु प्रेषित् किया गया है, की स्वीकृति अपेक्षित है। अनुरोध है कि उक्त स्वीकृति जारी करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करना चाहेंगे।

सादर !

(विश्वास सारंग)

प्रति,
श्री अनंत कुमार जी,
माननीय रसायन एवं उर्वरक एवं
संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल गैस त्रासदी राहत
एवं पुनर्वास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल